न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 31/2024

रणधीर पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।

-प्रार्थी

बनाम

1. दयाराम पुत्र गौरीशंकर जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
2. दीपाराम पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
3. छबीलाराम पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
4. मांगेराम पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
5. राजेन्द्र पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
6. रामसिंह पुत्र गौरीशंकर जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
7. श्रवण कुमार पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
8. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
9. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा रावतसर जरिये शाखा प्रबंधक।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा

- अप्रार्थीगण

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री हनुमान सहारण- **प्रार्थी**

वकील श्री रामजस गढवाल- **अप्रार्थी सं0 1, 4, 6, 7**

निर्णय

दिनांक : 02.04.25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा घेऊ के खाता संख्या 124/126 के खसरा संख्या 37/2 की 0.0720 है0 बारानी, खसरा संख्या 37/3 की 2.1540 है0 बारानी, खसरा संख्या 433 की 0.7590 है0 बारानी, खसरा संख्या 44 की 5.7540 है0 बारानी, खसरा संख्या 517 की 12.027 है0 बारानी कुल खसरे 5 की 20.7660 है0 बारानी शामिल खाता की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त वर्णित वादभूमि शामिल खाता की खातेदारी कृषि भूमि होने के कारण पक्षकारान के मध्य आए दिन सींव डोल माल लगान को लेकर तनाजा बना रहता है। वादभूमि संयुक्त खाता की होने के कारण अप्रार्थीगण अच्छी किस्म की भूमि पर काबिज है जो पानी व रास्ता दोनों की कृषि भूमि अप्रार्थीगण के हिस्से में आती है व उक्त भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल करने पर आमादा हैं जिसके लिए ग्राहक भी तैयार कर रखे है अगर अप्रार्थीगण अच्छी किस्म की भूमि पर काबिज हो जाते है यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। इस संबंध में प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ ताफैसला दावा इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की कानूनी अधिकारी है।

अतः प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है कि वह खाता विभाजन होने से पूर्व वाद भूमि के रहन, बै[illegible]किल ना करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर [illegible] अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 2, 3, 5, 8 ता[illegible]वजूद तामील के उपस्थित नही आये उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में ला[illegible] तथा अप्रार्थी सं0 1, 4, 6, 7 ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अतिरिक्त कथन किया कि अप्रार्थीगण का काफी समय पूर्व अच्छी मंदी के हिसाब से आपसी सहमती से कृषि भूमि का वाहमी बंटवारा हो चुका है। उभय पक्ष बंटवारा में आई कृषि भूमि पर अलग अलग काबिज है और शांतिपूर्वक अपने हक हिस्से की कृषि भूमि पर काश्त करते आ रहे है तथा किसी भी प्रकार से अच्छी अच्छी भूमि पर काबिज नहीं हो रहे है। अप्रार्थीगण के खिलाफ स्थगन आदेश प्रभावी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.22 12:34:19 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से की भूमि पर केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा दी जा रही लाभकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण पर वादभूमि को भूमाफिया लोगों को बेचान करने आदि के मिथ्या आरोप लगाये है। प्रार्थी ने महज अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने के लिये ही दावा व दरख्वास्त पेश किया गया है। अतः दरख्वास्त अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट सव्यय खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि उक्त वर्णित वादभूमि शामिल खाता की खातेदारी कृषि भूमि होने के कारण पक्षकारान के मध्य आए दिन सींव डोल माल लगान को लेकर तनाजा बना रहता है। शामिल खाता की भूमि में से अप्रार्थीगण अच्छी व उपजाउ किस्म की कृषि भूमि को बेचान करने की ऐलानिया धमकी दे रहे है और बार बार कृषि भूमि को अजनबी लोगों को बेचान करने के लिए कृषि भूमि दिखा रहा है। इसलिए प्रार्थी वादभूमि का अच्छी व मंदी के अनुसार बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स के अनुसार जोत विभाजन करवाकर प्रार्थी के हक हिस्सा में आई कृषि भूमि की सींव डोल माल लगान आदि अलग कायम कर कब्जा सम्पुष्ट किया जावे। अप्रार्थीगण प्रार्थी की कब्जा काश्त में मदालखत बेंजा कर रहे हैं और स्वयं या अपने आदमियों की ऐलानियां धमकी दे रहे है कि वे प्रार्थी को उसके हक हिस्सा की कृषि भूमि को काश्त नहीं करने देंगे और अच्छी किस्म की कृषि भूमि अजनबी लोगों को बेचान करेगें। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। वकील अप्रार्थीगण ने बहस के दोरान कथन किया कि अप्रार्थीगण का काफी समय पूर्व अच्छी मंदी के हिसाब से आपसी सहमती से कृषि भूमि का वाहमी बंटवारा हो चुका है। उभय पक्ष बंटवारा में आई कृषि भूमि पर अलग अलग काबिज है और शांतिपूर्वक अपने हक हिस्से की कृषि भूमि पर काश्त करते आ रहे है तथा किसी भी प्रकार से अच्छी अच्छी भूमि पर काबिज नहीं हो रहे है। अप्रार्थीगण के खिलाफ स्थगन आदेश प्रभावी रहने से अप्रार्थीगण अपने अपने की हिस्से की भूमि पर केन्द्र व राजय सरकार द्वारा दी जा रही लाभकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण पर वादभूमि को भूमाफिया लोगों को बेचान करने आदि के मिथ्या आरोप लगाये है। प्रार्थी ने महज अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने के लिये ही दावा व दरख्वास्त पेश किया गया है।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को जरिऐ अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया है एवं प्रकरण के निस्तारण हेतु हमें अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन बिन्दूओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति पर विचार करना है :–

1 **प्रथम दृष्टया मामला**:–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है। चूंकि प्रार्थी का अर्जीदावा खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमें वर्तमान राजस्व रिकार्ड जो पत्रावली में सलंग्न है जिसमें अप्रार्थीगण सहखातेदार है। सहखातेदार का अविभाजित भूमि के प्रत्येक भाग पर अधिकार होता है ऐसी स्थिति में सह खातेदार को [illegible] नहीं [illegible] जा सकता। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के खिलाफ दावा में घोषणा का अनुतोष नहीं चाहा है। [illegible] खाता विभाजन के दावा में सह–खातेदार के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा [illegible] में निषेधाज्ञा की बाबत प्रार्थी का वाद पत्र प्रथम दृष्टया साबित नहीं है [illegible] प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के खिलाफ व अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.22 12:34:19 IST
Reason: SelfAttested

2 **सुविधा का संतुलन**:– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है अप्रार्थी जो कि वादभूमि का खातेदार काश्तकार है जिसको अपनी खातेदारी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग एवं हस्तांतरण आदि करने का पूर्ण

अधिकार हासिल है। कानूनन सह खातेदार काश्तकार के खिलाफ बिना किसी घोषणा के दावा के किसी भी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। इस प्रकार सुविधा का संतुलन बिन्दू भी प्रार्थी के खिलाफ प्रतीत होता है जबकि अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

3 **अपूर्णीय क्षतिः**— उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि प्रार्थी का उक्त वादभूमि में लगान व खाता अलग से कायम नहीं है यदि उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण जो कि वादभूमि का खातेदार काश्तकार है जिसको अपनी खातेदारी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग एवं हस्तांतरण आदि करने का पूर्ण अधिकार हासिल है यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति हो सकती है। विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि सह खातेदार का अविभाजित भूमि के प्रत्येक भू भाग पर अधिकार होता है, क्योंकि संयुक्त भूमि पर सभी सह खातेदारों का बराबर का हक व हिस्सा निहित होता है। ऐसी स्थिति में सह खातेदार को पाबंद नहीं किया जा सकता है अप्रार्थीगण रिकार्डेड टिनेन्ट खातेदार काश्तकार है व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिये रिकार्डेड खातेदारों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र के तीनों बिन्दू कमशः प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के विरूद्व व अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होना पाया जाता है। उपरोक्त तीनों बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज योग्य होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
नोहर, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.22 12:34:19 IST
Reason: SelfAttested